न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः **अनिल कुमार–X, उच्चतर न्यायिक सेवा**
J.O. Code – UP6522
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3191/2023
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–8951 /2023
(CNR No: UPGZ010154832023)
कैलाश कुमार पुत्र श्री जल सिंह निवासी ग्राम खिजरपुर थाना गभाना जिला–अलीगढ, उत्तर प्रदेश।
... .अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार
... .विपक्षी

....

__17.08.2023__

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त कैलाश कुमार के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या –661/2022 धारा–406,409,504 भा०द०सं० थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त उक्त केस के वादी मुकदमा के यहां नौकरी करता थां आवेदक /अभियुक्त का वादी मुकदमा पर अप्रेल माह से वेतन नहीं हुआ और कई माह का वेतन हो गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से कई बार अपने वेतन की मांग की परन्तु आवेदक/अभियुक्त का वेतन नहीं दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहती है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक /अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित थाने से आख्या नियत दिनांक के लिए आहूत की जाये। सम्बन्धित आख्या में इस तथ्य का भी विवरण दिया जाये कि क्या आवेदक /अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास है अथवा किसी भी प्रकरण में उसे भगोडा घोषित किया गया तथा उसके विरूद्ध धारा 82 द०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 04.09.2023 को सुनवाई हेतु पेश हो।

(अनिल कुमार -X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.08.17 10:26:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court